सांसद स्थानीय विकास योजना
Members of Parliament Local Area Development Scheme

भारत सरकार
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
ईस्ट ब्लॉक 6, लेवल 6, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066
GOVERNMENT OF INDIA
Ministry of Statistics & Programme Implementation
East Block 6, Level 6
R.K. Puram, New Delhi-110066
Phone : 011-26104106, E-mail : mplads@nic.in

सत्यमेव जयते

एक कदम स्वच्छता की ओर

परिपत्र सं.सी-30/2016-एमपीलैड्स

Dated 25.09.2017

सेवा में,

(1) आयुक्त
कोलकाता/चेन्नई/दिल्ली नगर निगम

(2) सभी जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त

विषय: न्यासों/सोसाइटियों के कार्यों हेतु एमपीलैड्स निधि का आबंटन।

महोदय,

"नीति आयोग द्वारा रखरखाव किए जा रहे दर्पण पोर्टल में पंजीकृत तथा विशिष्ट पहचान वाले गैर सरकारी संगठनों/संस्थाओं के माध्यम से एमपीलैड्स संबंधी कार्यों का निष्पादन" विषय से संबंधित इस मंत्रालय के दिनांक 11.04.2017 के समसंख्यक परिपत्र का संदर्भ ग्रहण करें।

2. यह स्पष्ट किया जाता है कि दिए जाने वाले अनुदेशों का अभिप्राय एमपीलैड्स के कार्यों का निष्पादन गैर सरकारी संगठनों/सोसाइटियों/न्यासों द्वारा करवाने से संबंधित **नहीं** था, बल्कि यह न्यासों/सोसाइटियों के कार्यों हेतु एमपीलैड्स योजना के अंतर्गत एमपीलैड्स निधियों के आबंटन के बारे में था। इसका तात्पर्य यह था कि न्यासों/सोसाइटियों के कार्यों के लिए माननीय संसद सदस्यों की सिफारिशें कार्यान्वित करने से पहले संबंधित जिला प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि लाभग्राही न्यास/सोसाइटी नीति आयोग द्वारा रखरखाव किए जाने वाले दर्पण पोर्टल के अंतर्गत पंजीकृत है तथा उसके पास गैर सरकारी संगठन के लिए एक विशिष्ट पहचान संख्या है।

3. उपर्युक्त को देखते हुए दिनांक 11.04.2017 के परिपत्र सं.सी-30/2016-एमपीलैड्स को एतदद्वारा **वापस लिया हुआ** माना जाए तथा एमपीलैड्स के दिशानिर्देशों के पैरा 3.21 को निम्नानुसार पढ़ा जाए:-

> **3.21**योजना के अंतर्गत पंजीकृत सोसाइटियों/न्यासों के लिए सामुदायिक अवसरंचना और जनोपयोगी निर्माण कार्य भी अनुमेय हैं बशर्ते सोसाइटी/न्यास समाज सेवा/कल्याण गतिविधि में लगे हुए हों और **पिछले तीन वर्षों से अस्तित्व में रहे हों**। सोसाइटी/न्यास के अस्तित्व की गणना उस तारीख से की जाएगी जिस तारीख से उक्त क्षेत्र में उसकी गतिविधियां शुरू हुई अथवा संगत पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत जिस तारीख को उसका पंजीकरण हुआ, जो भी बाद में हो। **जिला प्राधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि लाभग्राही न्यास/सोसाइटी नीति आयोग के द्वारा रखरखाव किए जाने वाले दर्पण पोर्टल के अंतर्गत पंजीकृत है और उसके पास गैर सरकारी संगठन के लिए एक विशिष्ट पहचान संख्या है।** लाभग्राही सोसाइटी/न्यास एक सुस्थापित,लोकप्रिय, लाभ न कमाने वाली इकाई होगी जिसे संबंधित क्षेत्र में अच्छी ख्याति प्राप्त हो। ऐसी सोसाइटी/न्यास ख्यातिप्राप्त है या नहीं, इसका निर्णय संबंधित जिला प्राधिकारी, संगत कारकों जैसे समाज सेवा के क्षेत्र में निष्पादन, कल्याण गतिविधियां, उसकी गतिविधियों का गैर-लाभ अर्जन की ओर रूझान, उसकी गतिविधियों में पारदर्शिता और सुदृढ़ वित्तीय स्थिति, के आधार पर करेगा।

4. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

भवदीय,

(डी. साईबाबा)
निदेशक (एमपीलैड्स)

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1. सभी माननीय संसद सदस्य (लोक सभा/राज्य सभा)
2. सचिव, एमपीलैड्स से संबंधित नोडल विभाग (सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र)
3. लोक सभा सचिवालय (एमपीलैड्स शाखा संबंधी समिति), नई दिल्ली।
4. राज्य सभा सचिवालय (एमपीलैड्स शाखा संबंधी समिति), नई दिल्ली।
5. एनआईसी को एमपीलैड्स वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।